MOST IMMEDIATE/RTI MATTER

No.G20011/17/2017-Budget/RTI/253
Government of India
Central Water Commission
(Budget Section)
Sewa Bhavan, New Delhi,

Dated: 18th October, 2018

To

Shri Dr. Rahbar Sultan, GL-29, Virangana Nagar, Kanpur Road, Jhansi, U.P.-284128.

Subject: Application under RTI Act, 2005 of Shri Dr. Rahbar Sultan, GL-29, Virangana Nagar, Kanpur Road, Jhansi, U.P.-284128.

Please refer to your RTI application dated 19-09-2018 (received in this office on 04-10-2018) and find enclosed herewith copy of information from concerned section vide letter No.1-1/2016(RTI)/DDO-1/976, dated 18/10/2018.

As per rule 19(i) of RTI Act, 2005, Shri Ashis Banerjee, Secretary, Central Water Commission, 2nd Floor, South, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi-110066 is the first Appellate Authority.

Encls: As above

(R.N. Garg) (Accounts Officer CWC & CPIO

Copy to: Shri S.D. Verma, Under Secretary & Nodal Officer (RTI) No.309(S) Sewa Bhavan, New Delhi.

No. 1-1/2016(RTI)/DDO-I/ 976 भारत सरकार केन्द्रीय जल आयोग लेखा तीन अनुभाग......

01-18-10-2018

विषयः डा० रहबर सुलतान, जी०एल०.२९, वीरांगना नगर, कानपुर रोड, झांसी, यु0पी0-284128

संदर्भः: जी.20011/17/2017—बजट/आर.टी.आइ./250 दिनांकः 09/10/2018 महोदय,

उक्त आर.टी.आइ. के माध्यम से आपके द्वारा मांगी गई इस अनुभाग से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

Query	Information	Remarks
केन्द्रीय जल आयोग के अंतर्गत कितने वेतन,	कुल अधिकारी, कर्मचारी–872	संदर्भ माहः अघतन
भत्तों आदि के रूप में की जाती है।	भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तों	संदर्भ माहः जुलाई—2018
	कडोड सत्ताइस लाख छिहत्तर	
वेतन भक्तों के क्रपमें देश	estit silo til statti avael)	
2. वेतन,,भत्तों के रूपमें देय उपलब्ध कराने की कुपा करें	वेतन बिलों में कर्मचारियों के निजि विवरण उपलब्ध होते हैं	
	अतः Rule 8(J) of RTI के अंतर्गत यह जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।	
	केन्द्रीय जल आयोग के अंतर्गत कितने वेतन, भत्तों आदि के रूप में की जाती है। वेतन,,भत्तों के रूपमें देय उपलब्ध कराने की कुपा	केन्द्रीय जल आयोग के अंतर्गत कितने वेतन, भत्तों आदि के रूप में की जाती है। पुगतान किये गये वेतन एवं भत्तों की कुल राशि—72,776,879(सात कडोड सत्ताइस लाख छिहत्तर हजार आठ सो उन्यासी केवल) वेतन,,भत्तों के रूपमें देयउपलब्ध कराने की कुपा करें वेतन बिलों में कर्मचारियों के निजि विवरण उपलब्ध होते हैं अतः Rule 8(J) of RTI के

अनुभाग अधिकारी

लेखाधिकारी, एवं सीपीआइओ के.ज.आ. नई दिल्ली।